Parimal Nathwani
Member of Parliament
(Rajya Sabha)

Member:
Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law & Justice
Consultative Committee, Ministry of Commerce and Industry
Permanent Special Invitee:
Consultative Committee, Ministry of External Affairs

सत्यमेव जयते

165, South Avenue,
New Delhi - 110 011
Ph.: 011-23794010
e-mail : parimal.nathwani@sansad.nic.in

' Vraj ', Opp. HDFC Bank,
Beside Chandanbala Tower,
Nr. Suvidha Shopping Centre,
Paldi, Ahmedabad - 380 007

मीडिया रीलिज

देश के कुल खनिज-उत्पादन के मूल्य में झारखण्ड का योगदान नौ प्रतिशत

अवैध खनन रोकने हेतु राज्य ने कार्य-योजना तैयार की

राज्य सभा में सांसद नथवाणीजी को खान मंत्री का उत्तर

अगस्त 2, 2010 : वर्ष 2008-09 के दौरान भारत के खनिज उत्पादन के कुल मूल्य में झारखण्ड राज्य का योगदान नौ प्रतिशत था और राज्य देश के उन दस राज्योंमें से एक है जिन्होंने केन्द्र की सलाह पर अपने राज्य में अवैध खनन को रोकने की कार्रवाई योजना तैयार की है। आज राज्य सभा में प्रदेश के सांसद श्री परिमल नथवाणीजी के प्रश्न के उत्तर में केन्द्रीय खान एवम् पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री विजय कृष्ण हांडिक ने यह बताया।

झारखण्ड में बॉक्साइट, तांबा, डोलोमाइट, फेलस्पार, फायर-क्ले, सोना, ग्रेफाइट, लौह-अयस्क ,काओलिन, क्यानाइट, लेटराइट, चूना-पत्थर, मैंगेनीज अयस्क, पाइरोफिलाइट, पाइरोक्सेनाइट, क्वार्ट्ज, क्वार्ट्जाइट और सिलिका बालू खनिजों का उत्पादन किया जा रहा है। हालांकि झारखण्ड ने केन्द्र के कहने पर अवैध खनन से जुड़े मुद्दों पर गौर करने के लिए कार्य योजना तो तैयार कर ली है लेकिन ऐसे मामलों का पता लगा कर उसे रोकने तथा नियमित करने के लिए केन्द्रीय मंत्रालय की सलाह और दिशानिर्देश के अनुसार समन्वय एवम् अधिकार-प्राप्त समिति का गठन नहीं किया है।

मंत्री महोदय ने यह भी बताया कि भारतीय खान ब्युरो ने विशेष कार्यबल टीमों का गठन किया है। इन टीमों ने 7 दिसम्बर 2009 से 17 दिसम्बर 2009 के बीच झारखण्ड सहित कर्णाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गुजरात के पांच राज्यों के विशेष क्षेत्रों में 106 खानों का निरीक्षण किया और 60 खानों में प्रचालन निलम्बित किया। इन 60 निलम्बित खानों में से 58 खानों ने निलम्बन आदेश वापस लेने का अनुरोध करते हुए अर्जियां दी लेकिन (एक उड़ीसा और एक आंध्र प्रदेश की) दो खानों को तो समाप्त करने की ही सिफारिश की गई।

केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को आदर्श राज्य खनिज नीति का मसौदा परिचालित किया है। राज्य सरकारें खनिजों की मालिक होने के नाते खनन-पट्टे प्रदान करती हैं। खान और खनिज (विकास और विनियमन)अधिनियम, 1957 के तहत खनिज रियायत प्रदान करते हेतु केन्द्र सरकार का पूर्व अनुमोदन लेना अनिवार्य है।

श्री परिमल नथवाणीजी संसद में बृहद् राष्ट्रीय मुद्दों के साथ साथ झारखण्ड सम्बंधी प्रश्न भी लगातार उठा रहे हैं।

★ ★ ★